



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092023-248603
CG-DL-E-06092023-248603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3793]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2023/भाद्र 15, 1945

No. 3793]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2023/BHADRA 15, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2023

का.आ. 3955(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित संसद सदस्य को एतद्वारा नामित करती है:

1. श्री किशन कपूर, संसद सदस्य – लोक सभा

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/131/2023-पीएमएसएसवाई-IV- भाग(1)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2023

S.O. 3955(E).—In exercise of powers conferred by Clause (g) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **the following Member of Parliament as member of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Bilaspur:**

1. **Shri Kishan Kapoor, Member of Parliament, Lok Sabha**

The term of office of the members shall be governed by the positions contained in the Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/131/2023-PMSSY-IV-Part(1)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.